

4.1(b) (i) विभाग का संगठन, कृत्य, कर्तव्यों की विशिष्टताएं :-

1. उपसंचालक मत्स्योद्योग सागर संभाग सागर :- मत्स्योद्योग विभाग की गतिविधियों का संचालन एवं नोडल अधिकारी के रूप में कार्य का संचालन
2. सहायक संचालक मत्स्योद्योग :- जिले में मत्स्योद्योग विभाग की गतिविधियों का संचालन एवं अमले पर नियंत्रण. एवं आहरण / वितरण का अधिकार.
3. सहायक मत्स्य अधिकारी / मत्स्यपालन प्रसार अधिकारी :- जिलाधिकारी द्वारा सौंपे गये क्षेत्रीय कार्यों का संपादन विभागीय जलाशयों में मत्स्याखेट एवं मत्स्यबीज उत्पादन.
4. मत्स्य निरीक्षक / मत्स्यपालन प्रसार कार्यकर्ता :- जिलाधिकारी द्वारा सौंपे गये क्षेत्रीय कार्यों का संपादन विभागीय जलाशयों में मत्स्याखेट एवं मत्स्यबीज उत्पादन.
5. उपयंत्री :- मत्स्यपालन कार्य संबंधित निर्माण कार्यों का संपादन.
6. अनुसंधाता करना. :- जिले के ग्रामीण/सिंचाई तालाबों का सर्वे
7. सहायक ग्रेड-2 :- लेखा एवं स्थापना शाखा का संपादन.
8. स्टेनोग्राफर :- स्टेनोवर्क.
9. सहायक वर्ग-3 :- आवक-जावक / टाइपिंग / भंडार / स्टेशनरी / कम्प्यूटर / आदि कार्य
10. मत्स्य जमादार :- जलाशयों में मत्स्य संपदा का रखरखाब एवं मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों का रखरखाब.
11. भृत्य :- कार्यालय संबंधी सौंपे गये कार्य.
12. वाहन चालक :- वाहन चालन
13. कार्यालय / तालाब चौकीदार :- कार्यालय की चौकीदारी एवं जलाशयों / मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों की देखरेख.

4.1(बी) (ii) – विभागीय अधिकारी गण तथा कर्मचारी/कर्मकार/नियोजितों की शक्तियां और कर्तव्य :-

1. उपसंचालक मत्स्योद्योग :- संभाग में मत्स्योद्योग विधियों का संचालन एवं प्रशासनिक अधिकारी
2. सहायक संचालक मत्स्योद्योग :- विभागीय गतिविधियों का संचालन एवं योजनाओं का क्रियान्वयन एवं आहरण वितरण.
3. सहायक मत्स्य अधिकारी :- जिलाधिकारी द्वारा सौंपे गये विभागीय जलाशयों एवं मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों पर मत्स्यबीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन / अन्य तकनीकी कार्य.
4. मत्स्यपालन प्रसार अधिकारी संचालन. :- सौंपे गये क्षेत्रों में मत्स्य कृषक विकास अभिकरण की योजनाओं का
5. मत्स्य निरीक्षक :- जिलाधिकारी द्वारा सौंपे गये विभागीय जलाशयों एवं मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों पर मत्स्यबीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन / तकनीकी कार्य.
6. मत्स्यपालनप्रसार अधिकारी :- सौंपे गये क्षेत्रों में मत्स्यकृषक विकास अभि० की योजनाओं का संचालन.
7. उपयंत्री :- मछली पालन संबंधी निर्माण कार्य एवं समय समय पर मरम्मत कार्य.
8. अनुसंधाता :- ग्रामीण एवं सिंचाई तालाबों का सवेक्षण कार्य का संपादन.
9. सहायक वर्ग-2 :- स्थापना एवं लेखा संबंधी कार्य का संपादन.
10. स्टेनोग्राफर :- स्टेनो संबंधी कार्य का संपादन.
11. सहायक वर्ग-3 :- आवक-जावक, टाइपिंग, कम्प्यूटर, स्टेशनरी, भंडार आदि कार्य.
12. मत्स्य जमादार :- विभागीय जलाशयों मत्स्याखेट का कार्य संपादन एवं रखरखाव तथा म०बी०प्रे० का रखरखाव.
13. वाहन चालक :- वाहन चालन एवं उसका रखरखाव
14. भृत्य :- कार्यालय संबंधी सौंपे गये कार्य का संपादन.
15. कार्यालय /तालाब /म.बी.प्रे.चौकीदार :- कार्यालय, तालाब, एवं मत्स्यबीज प्रक्षेत्र की देखरेख.

4.1 (b) (iii) मछली पालन विभाग द्वारा निर्णय किये जाने के प्रकम मे अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी /पर्यवेक्षण जवावदेही का माध्यम/सारणी भी :-

1. ग्रामीण/सिंचाई जलाशयों को पट्टे पर आवंटन कराना :-

समिति /समूह/व्यक्ति का आवेदन पर → तकनीकी शाखा द्वारा प्रस्ताव का → अनुमोदन पश्चात विभाग द्वारा  
ग्राम/जनपद/जिला पंचायत की सभा परीक्षण कर मुख्य कार्यपालन पट्टा राशि का निर्धारण कर  
पट्टा में प्रस्ताव पारित कर मत्स्योद्योग विभाग अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम आदेश अनुबंध हेतु संबंधित  
पंचायत को प्राप्ति से कलेक्टर महोदय को अनुमोदनार्थ प्रेषित ।  
को प्राप्त प्रस्तुत ।

2. स्वयं की भूमि मे तालाब निर्माण :-

हितग्राही द्वारा भूमि स्वामि के → तकनीकी शाखा द्वारा आवेदन → मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर  
दस्तावेज के साथ आवेदन कार्यालय परीक्षण उपरांत मिट्टी परीक्षण विभागीय उपयंत्री एवं फील्ड आफिसर  
को प्राप्त प्रयोगशाला मे मिट्टी परीक्षण द्वारा स्थल निरीक्षक कर प्लान  
प्राक्लन हेतु प्रेषित तैयार किया जाकर संबंधित क्षेत्र  
की बैंक शाखा को ऋण स्वीकृति हेतु  
प्रेषित ।

3. समन्वित मछली पालन :-

हितग्राही (मत्स्य कृषक) द्वारा आवेदन → तकनीकी शाखा द्वारा आवेदन → पूर्ण प्रकरण तैयार कर संबंधित

कार्यालय को प्राप्त  
हेतु

का परीक्षण उपरांत विभागीय

बैंक शाखा को ऋण स्वीकृति

उपयंत्री/फील्ड आफीसर द्वारा प्रेषित ।  
स्थल परीक्षण किया जाकर प्लान  
प्राक्लन तैयार करना

—4—

4. मछुआ सहकारी समितियों को ऋण/अनुदान एवं मत्स्य पालकों को अनुदान :-  
सहकारी समितियों एवं मत्स्यपालकों से प्राप्त आवेदन तैयार सागर → तकनीकी शाखा द्वारा पात्र समितियों एवं मत्स्यपालकों का चयन कर प्रस्ताव तैयार किया जाकर जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति को अनुमोदनार्थ हेतु प्रेषित । → अनुमोदन पश्चात विभाग की लेखा अनुदान बिल कर कोषालय को प्रेषित ।
5. पौण्ड कल्चर समन्वित मछलीपालन एवं स्वयं की भूमि मे तालाब निर्माण योजनांतर्गत ऋण/अनुदान वितरण :-  
बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति सूचना अनुमोदन पश्चात कार्यालय को प्राप्त होने के उपरांत → तकनीकी शाखा द्वारा संबंधित बैंक ऋण पर पात्रता अनुसार अनुदान प्रस्ताव तैयार कर जिला पंचायत कृषि समिति को अनुमोदनार्थ हेतु प्रेषित । → अनुदान राशि को संबंधित हितग्राही/ बैंक शाखा को वितरण ।
6. शिक्षण-प्रशिक्षण एवं राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण :-  
हितग्राही द्वारा आवेदन प्राप्त एवं → तकनीकी शाखा द्वारा पात्र हितग्राहियों का चुनाव कर प्रस्ताव जिला पंचायत की अनुमोदन उपरांत विभागीय योजना अंतर्गत 15 दिवसीय प्रशि. 15दिवसीय राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण

7. मत्स्यपालकों का शासकीय व्यय पर दुर्घटना बीमा :-

जिले के मत्स्यपालकों द्वारा निर्धारित म0प्र0भोपाल प्रपत्र मे दुर्घटना बीमा हेतु कार्यालय को आवेदन प्रस्तुतिकरण । → तकनीकी शाखा द्वारा आवेदकों का परीक्षण कर सूची संचालनालय को बीमा हेतु प्रस्तुत । → संचालनालय मत्स्योद्योग द्वारा बीमा हेतु प्रकरण अनुदान स्वरूप प्रीमियम राशि सहित राष्ट्रीय मत्स्य मछुआ सहकारी बैंक कार्यालय नई दिल्ली को प्रेषित ।

-5-

8. विभागीय जलाशयों मे मत्स्याखेट :-

स्थानीय समिति/समूह द्वारा → जिला अधिकारी द्वारा → तकनीकी शाखा द्वारा → जिलाधिकारी द्वारा विभागीय जलाशयों मे मत्स्याखेट हेतु आवेदन प्राप्त । प्राप्त आवेदनों को तकनीकी शाखा में निरीक्षण हेतु निर्देशित निरीक्षण उपरांत अनुबंध की पूर्ण कार्य-वाही नियमानुसार किया जाकर आदेशार्थ जिलाधिकारी को प्रस्तुत मत्स्याखेट आदेश जारी ।

4.1(b) iv उसके कृत्यों के निर्वाहन के लिये उसके द्वारा मानदण्ड/प्रतिमान निश्चत करना

Activity /function	Time norms	Quality norms	Quantity
01	02	03	04
1. सिंचाई एवं ग्रामीण तालाबों का पट्टा आवंटन	30 दिवस	0हे.से 10 हेक्ट.'ग्राम पंचायत 10से100 हेक्ट.तक जनपद पंचायत 100 से 2000 हेक्ट. तक जिला पंचायत	1हेक्टर प्रति व्यक्ति 5 हेक्टर के उपर समिति /समूह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला हितग्राही
2. स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण क. स्वयं के व्यय से ख. बैंक ऋण से	30 दिवस	1हेक्टर पर	लागत का 20प्रतिशत अनुदान सामान्य को 25प्रतिशत अनुसूचित जाति , ,जनजाति को
3. प्रशिक्षण विभागीय (समिति) मत्स्य कृषक पट्टाधारक	30 दिवसीय	समिति के सदस्यों को 15दि. पट्टाधारक को 10दिवस	50रु प्रति दिवस प्रति प्रशिक्षणार्थियों को मानदेय एवं नायलोन धागा 100रु प्रति प्रशिक्षणार्थी एवं आने

			जाने का किराया
4. समिति/मत्स्यपालकों को अनुदान वितरण	15दिवस	समितियों को पट्टा राशि अंशपूँजी,उपकरण,म.बी.पर मत्स्यपालकों को पट्टाराशि,मत्स्यबीज उपकरण	1.5लाख अनुसूचित जनजाति/जाति 5000प्रति व्यक्ति अनु.जा./ज.जा.
5. विभागीय जलाशयों में स्वत्वशुल्क आधार पर मत्स्याखेट करने की इच्छुक संस्थओं /समूहों के आवेदन पत्र पर कार्यवाही	07दिवस	विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	समिति द्वारा दिये गये आवेदन के अनुसार.
6. अपंगता होने पर उसकी दुर्घटना बीमा राशि का प्रकरण तैयार करना	15 दिवस	25000.00	---

-7-

4.1(b) v विभागीय कृत्यों का निर्वाहन करने के लिये मध्यप्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों को मत्स्योद्योग के अधिकार/कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण के नाम से (मध्यप्रदेश शासन मछली पालन विभाग मंत्रालय भोपाल के अधिनियम क्रमांक 2886/96/36 भोपाल दिनांक 31अक्टूबर 1996 से लागू)

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रं-एक सन् 1994 ) की धारा 53 (1) के अधीन प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं एतद विषयक पूर्व प्रसारित समस्त आदेशों को निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को मछलीपालन विभाग के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार उत्तरदायित्व तथा गतिविधियां अंतरित की जाती है :-

1. जलाशयों का विकास एवं प्रबंधन :-

1.1 10हेक्टर औसत जलक्षेत्र के तालाब /जलाशय - ग्राम पंचायत

1.2 10 हेक्टर से अधिक एवं 100 हेक्टर औसत जलक्षेत्र तक के जलाशय - जनपद पंचायत

1.3 100 हेक्टर से अधिक एवं 2000 हेक्टर औसत जलक्षेत्र तक के जलाशय - जिला पंचायत

1.4 पंचायतें तालाबों /जलाशयों को शासन द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों एवं प्राथमिकतानुसार पट्टे पर देगी किसी भी स्तर की पंचायतों को शासन द्वारा निर्धारित नियमों से हटकर किसी भी जलाशय को पट्टे पर देने का अधिकार नहीं होगा ।

जिन तालाबों को पंचायतों को अंतरण से पूर्व विभाग या अभिाकरण द्वारा पट्टे पर उठाया गया है वह पट्टा अवधि के दौरान यथावत पट्टा धारक के पास रहेंगे एवं उनके पट्टा अवधि में पट्टा निरस्त करने के अधिकार पंचायतों को किसी भी दशा में नहीं रहेगा ।

- 1.5 तालाब /जलाशय पट्टे पर देने से प्राप्त आय पंचायत के कोष में जमा होगी ।
- 1.6 जिन जलाशयों का प्रबंधन मत्स्य विकास निगम के अधीन है या जिनके मत्स्यबीज उत्पादन, प्रजनन, अनुसंधान इत्यादि कार्यों के लिये विभाग को आवश्यकता है वे मत्स्य विकास निगम/मत्स्योद्योग विभाग के अधीन रहेंगे ।

2. मछुआ सहकारी समितियों को ऋण एवं अनुदान स्वीकृत करने का अधिकार जिला पंचायत को होगा
3. पंचायतों को मत्स्योद्योग विभाग की निम्नलिखित परियोजनाओं/कार्यक्रमों को हस्तांतरित किया जाता है :-
  - 3.1 मत्स्यपालन प्रसार :- अनुसूचित जनजाति/जातियों के मछुआरों को मछलीपालन के लिये प्रथम तीन वर्षों में रूपये 5000 का अनुदान दिया जाता है ।

- 3.2 सिंचाई जलाशयों में मत्स्योद्योग विकास :- 2000 हेक्टर तक के जलाशयों को समितियों को पट्टे पर देकर मत्स्य उत्पादन तथा मत्स्य उत्पादकता बढ़ाना है ।

-8-

- 3.3 मछुआरों का प्रशिक्षण :- सभी श्रेणी के मछुआरों को मछलीपालन की तकनीकी, मछली पकड़ना, जालबुनना, नाव चलाना इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

- 3.4 मछुआ सहकारी समितियों को सहायता :- पंजीकृत समितियों को मछलीपालन हेतु तालाब पट्टा, मत्स्यबीज, मत्स्याखेट

उपकरण जैसे नाव जाल, आदि के क्रय हेतु ऋण एवं अनुदान दिया जाता है ।

- 3.5 अनुसूचित जाति एवं जनजाति की मछुआ सहकारी समिति को अनुदान :- समितियों को प्रथम तीन वर्षों में हिस्सा, तालाब पट्टा, पूंजी मत्स्यबीज एवं नाव जाल क्रय के लिए रूपये 1.5 लाख का अनुदान दिया जाता है ।

4. अमला:- उपरोक्त उल्लेखित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मत्स्योद्योग विभाग के जिला स्तर पर पदस्थ सहायक संचालक मत्स्योद्योग मय अमले के जिला पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेगा । अंतरित किये गये कार्यों के संपादन के लिये जिला पंचायत को दिया जा रहा अमला जिला पंचायत के नियंत्रण में कार्य करते हुए मत्स्योद्योग विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा ।
5. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अध्यक्ष, जिला कलेक्टर के स्थान पर जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी होंगे मत्स्य कृषक विकास अभिकरण तथा इसका समस्त अमला जिला पंचायत के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा यह अमला जिला पंचायत के नियंत्रण में अभिकरण की परियोजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा । अभिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजना/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-



- 5.1 ग्रामीण तालाबों को मत्स्यपालन हेतु पट्टे पर देना :- 10 हेक्टर के औसत जलक्षेत्र के तालाबों के पट्टे शासन नीति, निर्देशों, प्राथमिकता एवं निर्धारित अवधि के लिये हितग्राहियों को पट्टे पर दिलाना सभी स्तर की पंचायतें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय अवधि के लिये तथा सिंचाई तालाब 7 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर देगी, जिसका अनुमोदन नियमानुसार पंचायतें / प्राधिकृत अधिकारी (कलेक्टर/कमिश्नर) से प्राप्त करेगी ।
- 5.2 ग्रामीण तालाबों में मत्स्यबीज संचयन :-जिले के तालाबों की मत्स्यबीज की आवश्यकता का आंकलन एवं उसकी जिले की प्रक्षेत्रों / जिले के बाहर से पूर्ति करना
- 5.3 बैंक ऋण के प्रस्ताव तैयार कर उन्हें स्वीकृत कराना :- अभिकरण के हितग्राहियों के लिये मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियों के लिये बैंक ऋण के प्रस्ताव तैयार कराना तथा बैंक ऋण दिलाना ।
- 5.4 सहायता राशि का वितरण :- निर्धारित पद्धति अनुसार आर्थिक सहायता का वितरण कराना ।
- 5.5 ग्रामीण तालाबों में मत्स्य उत्पादन/सघन मत्स्य पालन/समन्वित मत्स्यपालन इकाईयों का विकास, सांख्यिकीय का
- 5.6 संकलन :- अभिकरण के हितग्राहियों को मत्स्यपालन का मार्गदर्शन देना मत्स्य उत्पादन तथा प्रति हेक्टर मत्स्य उत्पादकता बढ़ाना, सघन मत्स्यपालन, समन्वित मत्स्य पालन इकाईयों की स्थापना करना ।

-9-

6. प्रचलित योजनाओं में पर्यवेक्षण के अधिकार व भाविष्य की योजनाओं हेतु प्रशासकीय अनुमोदन व पर्यवेक्षण के अधिकार जिला पंचायत को दिये जाते हैं ।
7. हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाकर प्रस्ताव जनपद पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत को भेजेगें । हितग्राहियों का चयन जिला पंचायत, जनपद पंचायत के माध्यम से करेगी मछुआरा सहकारी समिति को ऋण एवं अनुदान देने के लिये समितियों का चयन जनपद पंचायत कर जिला पंचायत को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ।
8. जिला पंचायतों को हस्तांतरित कार्य, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का मासिक प्रगति प्रतिवेदन वित्तीय एवं भौतिक प्रतिमाह मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के माध्यम से उपसंचालक मत्स्योद्योग एवं संचालक मत्स्योद्योग को नियमित रूप से भेजा जावेगा ।
9. अनुसंधान कार्य, अमले का प्रशिक्षण, मत्स्यबीज उत्पादन संबंधित समस्त कार्य, मत्स्यालय, मत्स्य यविज्ञान केन्द्र का संचालन एवं प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त केन्द्र क्षेत्र एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं(मत्स्य कृषक विकास अभिकरण को छोड़कर) का क्रियान्वयन मत्स्योद्योग विभाग द्वारा सीधे किया जावेगा ।
10. संभाग में पदस्थ उपसंचालक मत्स्योद्योग जिले में क्रियान्वित राज्य सेक्टर के कार्य एवं पंचायतों को अंतरित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के पर्यवेक्षण, नियंत्रण, मार्गदर्शन, अनुश्रवण तथा तकनीकी अनुसमर्थन के लिए उत्तरदायी होंगे तथा सूचना का प्रभार एवं जानकारी का संकलन उनके द्वारा किया जावेगा विभाग का जो

अमला पंचायत के अधीन नहीं किया गया है उसका सीधा नियंत्रण उपसंचालक मत्स्योद्योग द्वारा किया जावेगा संभाग के उपसंचालक मत्स्योद्योग सहायक संचालक मत्स्योद्योग के कार्यालय के निरीक्षण एवं आडिट तथा अभिकरणों के निरीक्षण करने के लिये अधिकृत रहेंगे । नीति का निर्धारण, कार्यक्रमों का निर्धारण, राज्य की योजनाओं को अंतिम रूप देना, पंचायत सेक्टर पर यथा आवश्यक नियंत्रण रखना, कार्यक्रमों का मूल्यांकन अनुश्रवण, नियंत्रण तथा मार्गदर्शन रहेगा । तथा नीतिगत निर्णय लेने का राज्य शासन का अधिकार एवं कर्तव्य बना रहेगा । संभाग और उसके उपर के स्तर के विद्यमान कार्य, अधिकार एवं दायित्व यथावत रहे ।

11. वजट व्यवस्था एवं वित्तीय अधिकार :- राज्य शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुये सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला पंचायतों को अंतरित कार्य/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि का आहरण जिला पंचायत के नियंत्रण एवं निर्देशानुसार करेंगे । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण उन्हें प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए अभिकरण की योजना एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत के नियंत्रण एवं निर्देशानुसार आहरण करेंगे ।

—10—

12. प्रशासनिक अधिकार :-

- 12.1 मत्स्योद्योग विभाग का जो अमला जिला पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेगा, उस अमले की सेवा शर्तें, वेतन एवं भत्तों की भुगतान की पद्धति पदोन्नति एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ववत् ही रहेगी । इस अमले का सेवा अभिलेख तथा जी पी एफ इत्यादि संधारण आदि भी पूर्ववत् विभाग के अधीन रहेगा किन्तु पंचायतों को हस्तांतरित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये अमला जिला पंचायत के प्रति उत्तरदायी रहेगा ।

- 12.2 अनुशासनात्मक कार्यवाही :-जिला पंचायत द्वारा चतुर्थ श्रेणी तथा सहायक (वर्ग तीन) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिये जाने पर सहायक संचालक मत्स्योद्योग/मुख्य कार्यपालन अधिकारी मत्स्य कृषक विकास अभिकरण का कर्तव्य होगा कि वह नियमानुसार पूर्ण परीक्षण कर की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन जिला पंचायत को प्रस्तुत करें । तृतीय श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी के बारे में अनुशासनात्मक कार्यवाही जो पूर्व में उपसंचालक मत्स्योद्योग करते हैं वह अब जिला पंचायत करेगी । सहायक संचालक मत्स्योद्योग मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के विरुद्ध शिकायत या कार्यवाही का प्रस्ताव जिला पंचायत द्वारा दिये जाने पर कार्यवाही उपसंचालक मत्स्योद्योग द्वारा की जावेगी ।

यदि किसी अमले के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना आवश्यक हो तो जिला पंचायत द्वारा

इसकी प्रारंभिक जांच करवाई जाकर, जांच प्रतिवेदन मय आवश्यक दस्तावेज एवं अधिरोपित ,आरोप अभिकथनपत्रक, गवाहों की सूची एवं अपनी अनुशंसा के साथ संभाग के उपसंचालक मत्स्योद्योग को भेजेगे, उपसंचालक मत्स्योद्योग उनको प्रदत्त अधिकारों के तहत कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थापित कर निर्णय लेंगे एवं दण्ड अधिरोपित करेंगे, उपसंचालक मत्स्योद्योग उनके अधिकार सीमा के बाहर के प्रकरणों मे प्रस्ताव अपने मत सहित संचालक मत्स्योद्योग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजेगे ।

12.3

गोपनीय प्रतिवेदन :- पंचायत के अधीन किये गये तृतीय चतुर्थ श्रेणी अमलों का गोपनीय प्रतिवेदन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों मे सहायक संचालक मत्स्योद्योग/अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रथम अभिमत अंकित कर द्वितीय अभिमत के लिये जिला पंचायत को प्रस्तुत किया जावेगा

द्वितीय अभिमत के लिये वे प्रतिवेदन संभाग के उपसंचालक मत्स्योद्योग को भेजेगे जो अपने अभिमत अंकित कर प्रतिवेदन संचालक मत्स्योद्योग को भेजेगे विलासपुर,रायपुर एवं बालाघाट जिले मे अभिकरणों के मुख्य अधिकारी चूंकि प्रथम श्रेणी के अधिकारी है अतः इनके गोपनीय प्रतिवेदन जिला पंचायत द्वारा सीधे ही संचालक मत्स्योद्योग को भेजे जावेगे । अभिकरणों मे नियुक्ति कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगे ।

—11—

12.4

स्थानांतरण :- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी को जिले के अंदर स्थानान्तरित करने का अधिकार जिला पंचायत को होगा किन्तु यह पदस्थापना केवल विभाग द्वारा स्वीकृत स्थानों पर ही की जावेगी । सहायक संचालक मत्स्योद्योग / मुख्यकार्यपालन अधिकारी / मत्स्य कृषक विकास अभिकरण

का स्थानांतरण राज्य शासन एवं संचालक मत्स्योद्योग करेंगे । यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण जिले के बाहर किया जाना हो तो प्रस्ताव जिला पंचायत द्वारा संभाग के उपसंचालक मत्स्योद्योग को भेजा जावेगा ।

जिला पंचायत द्वारा जारी किये गये स्थानान्तर आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकारी जिलला कलेक्टरों को प्रदान किये गये है. प्रभावित अधिकारी/कर्मचारी स्थांनातर आदेश प्राप्त होने के सात दिन के भीतर आवश्यकतानुसार अपील / अभ्यावेदन संबंधित जिले के कलेक्टरों को प्रस्तुत सकेगे दृ जिला कलेक्टर अपील /अभ्यावेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उसक परीक्षण कर जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से उसका निराकरण करेंगे और लिये गये निर्णय से संबंधित को सूचित करेंगे.

12.5

अवकाश स्वीकृति:- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के आकिस्मक अवकाश एवं अन्य अवकाश के अधिकार सहायक संचालक मत्स्योद्योग अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अधीन रहेंगे तृतीय श्रेणी (कार्यपालन) के केवल अर्जित अवकाश/ चिकित्सा अवकाश के अधिकारी संभाग के उपसंचालक मत्स्योद्योग को रहेंगे. सहायक संचालक मत्स्योद्योग /अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अवकाश उपसंचालक मत्स्योद्योग द्वारा स्वीकृत किये जावेगे. उपसंचालक मत्स्योद्योग अवकाश स्वीकृति की सूचना जिला पंचायत को देंगे.

12.6

वेतन वृद्धियां:- वेतन वृद्धियों की स्वीकृति पूर्ववत सक्षम अधिकारी द्वारा शासन नियमों के तहत की जावेगी.

4.1(b) (vi) :- संबंधित शाखा द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण :-

S- No	Name of Documents	Kind of Document Microfilm]Register books	Nature &contat of Decument	Derotion of records
01	02	03	04	05
1.	तालाब पट्टा से संबंधित जानकारी	हार्ड एवं साफ्ट कापी	कु. सोना यादव सहायक मत्स्य अधि.	मुख्यालय उपसंचालक मत्स्योद्योग सागर
2.	सहकारी समितियों की जानकारी	--'	श्री रमेश सोनकर मत्स्य निरीक्षक	उ.स.म. कार्यालय
3.	वजट संबंधित जानकारी	--'	श्री एम.एल.कोष्टी सहायक ग्रेड-2	उ.सं.म.सागर

4.1(b) (vii) उसकी नीति के सूत्रीकरण /प्रतिपादन अथवा उसके कार्यान्वयन परिपालन के संबंध में किसी भी प्रबंध /व्यवस्था की विशिष्टियां जो कि लोक सदस्यों द्वारा परामर्श की जाने के लिये थी, उनके द्वारा प्रति निधित्व किये जाने के लिये मौजूद है./आस्तित्व में है ।

1. मत्स्यबीज संचयन कमेटी

1.1 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

2. सरपंच ग्राम पंचायत

3. स्थानीय पंजीकृत सहकारी समितियों के अध्यक्ष

1.2 विभागीय जलाशयों में मत्स्यबीज (100एमएम) का संचयन करना

1.3 विभागीय जलाशयों पर पदस्थ अधिकारी के पास जानकारी उपलब्ध.

2. केन्द्र प्रवर्तित मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सागर के योजना क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रबंधकारणी समिति गठित है ।

1. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर

अध्यक्ष

2. पदेन मुख्यकार्यपालन अधिकारी म.कृ'वि.अ. सागर

सदस्य /सचिव

3. उपसंचालक मत्स्योद्योग सागर

सदस्य

4. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) कं.-2सागर

सदस्य

5. कार्यपालन यंत्री सिंचाई विभाग संभाग कमांक-2 सागर

सदस्य

6. उपसंचालक पंचायत समाज सेवा सागर

सदस्य

7. उपपंजीयक सहकारी समितियां सागर

सदस्य

8. अग्रणी बैंक अधिकारी सेन्ट्रल बैंक सागर

सदस्य

9. प्रबंधक स्टैट बैंक आफ इंडिया शाखा सिविल लाइन सागर

सदस्य

10. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक सिटी ब्रांच सागर

सदस्य

11. श्रीमति लक्ष्मी रैकवार सागर

अशासकीय सदस्य

12. श्री गोपीलाल रैकवार मछुआ समिति बरायठा विकासखण्ड शाहगढ

---'---

13. श्री रामचरण रैकवार सागर तहसील मछुआ संघ सागर

---'---

प्रबंध कार्यकारिणी समिति के कार्य :-

केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रसारित नीति निर्देशों के तहत जिले में केन्द्र प्रवर्तित मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना का क्रियान्वयन, समीक्षा, प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण आदि ।

4.1(b)(viii)

sno	name of the body	name of the member	Quolification
01	02	03	04
1.	विभागीय जलाशयों में मत्स्यबीज संचयन कमेटी बीला जलाशय	1. संबंधित विकासखण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत 2. स्थानीय ग्राम पंचायत सरपंच/उपसरपंच 3. माझी रैकवार म.छुआ सहकारी समिति बीला 4. रैकवार म.छुआ सहकारी समिति बीला 5. आदिवासी म.छुआ सहकारी समिति बीला 6. हरिजन म.छुआ सहकारी समिति बीला 7. रैकवार म.छुआ सहकारी समिति देवरी 8. विभाग प्रमुख	सी ई ओ जनपद पंचायत सरपंच/उपसरपंच अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष जिलाधिकारी उसम सागर
2.	—' कमेटी मंसूरवारी जलाशय		

4.1 ( बी ) ( ix ) विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों /नियोजितों की निर्देशिका (जायरेक्टरी )

क्र०	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	अधिकारी /कर्मचारी का पद	पता एवं फोन नंबर
1	2	3	4
1.	श्री जी०के०मेश्राम	प्र०उपसंचालक मत्स्योद्योग सागर	न्यू कालोनी एफ-14 फोन नंबर – आ. 236656 निवास 224548
2.	श्री ए०आर०कुरेशी	सहायक मत्स्य अधि० बीला जलाशय	ग्राम पंचायत बीला
3.	कुमारी सोना यादव	मत्स्यपालन प्रसार अधिकारी	कार्यालय उपसंचालक मत्स्यो. सागर. दूरभाष-236656
4.	श्री एस०एन०उदेहिया	मत्स्यपालन प्रसार कार्यकर्ता	कार्यालय उपसंचालक मत्स्यो. सागर दूरभाष 236656
5.	श्री ए०के०श्रीवास्तव	मत्स्य निरीक्षक	ग्राम मंसूरवारी जलाशय देवरी
6.	श्री आर० सोनकर	मत्स्य निरीक्षक	कार्या.उ०सं०म०सागर 236656
7.	श्री सी०के०खरे	मत्स्य निरीक्षक	कार्या.उ०सं०म०सागर 236656
8.	श्री ए०के०जैन	उपयंत्री	कार्या.उ०सं०म०सागर 236656
9.	श्री डी०एन०कोरी	अनुसंधाता	कार्या.उ०सं०म०सागर 236656
10.	श्री एन०आर०ठाकुर	अनुसंधाता	कार्या.उ.सं.म. 236656
11.	श्री एम०एल०कोष्टी	सहायक वर्ग-2	कार्या.उ०सं०म०सागर 236656



12.	श्री आई०ए०खान	स्टेनोग्राफर	कार्या.उ०सं०म०सागर 236656
13.	श्री व्ही०के०चौरसिया	सहायक वर्ग-3	कार्या.उ०सं०म०सागर 236656
14.	श्री आर०के०सैनी	सहायक वर्ग-3	कार्या.उ०सं०म०सागर 236656
15.	श्रीमति लक्ष्मी जैन	सहायक वर्ग-3	कार्या.उ०सं०म०सागर 236656
16.	श्री रामसुवन तिवारी	मत्स्य जमादार	तिली म०बी०प्रेक्षेत्र सागर.
17.	श्री श्यामलाल रैकवार	मत्स्य जमादार	बीला जलाशय शाहगढ
18.	श्री नंदकिशोर रैकवार	मत्स्य जमादार	रतौना म०बी०प्रेक्षेत्र
19.	श्री हरीराम गौड़	मत्स्य जमादार	मंसूरवारी जलाशय देवरी
20.	श्री प्रकाश यादव	भृत्य	कार्यालय उ०सं०म०सागर
21.	श्री छोटेलाल सेन	भृत्य	कार्यालय उ०सं०म०सागर
22.	श्री मथुराप्रसाद कोष्टी	भृत्य	कार्यालय उ०सं०म०सागर
23.	श्री पुरुषोत्तम रैकवार	भृत्य	कार्यालय उ०सं०म०सागर
24.	श्री घनश्याम रैकवार	भृत्य	कार्यालय उ०सं०म०सागर
25.	श्री धीरजप्रसाद शार्मा	भृत्य	कार्यालय उ०सं०म०सागर
26.	श्री धमेन्द्र गोस्वामी	वाहन चालक	कार्यालय उ०सं०म०सागर
27.	श्री भरोसा रैकवार	तालाब चौकीदार	बीला जलाशय शाहगढ
28.	छोटेलाल पटैल	प्रक्षेत्र चौकीदार	तिली म०बी०प्रेक्षेत्र सागर.
29.	श्री मुन्नासिंह गौड़	कार्यालय चौकीदार	कार्या०उ०सं०म०सागर
30.	श्री मनोहरलाल पटैल	कार्यालय चौकीदार	कार्या०उ०सं०म०सागर

4.1(बी) (x)

मासिक पारिश्रमिक जो उसके प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है तथा उसके विनियमों में उपबंधित क्षतिपूर्ति / मुआवजे / प्रतिकर की पद्धति भी

s.n.	Name	Remuneration	Compensation
1.	श्री जी०के०मेश्राम प्र०उ०सं०म०सागर	12400=00	सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर म०प्र०शासन कर्मचारी बीमा सह बचत योजना अंतर्गत जमा राशि के साथ अनुपात में शासन नियमानुसार बीमा मूल्य राशि का भुगतान किया जाता है । परिवार पेंशन, जी.पी.एफ. डी.पी.एफ में जमा राशि 2. अधिवार्षिकीय अवधि पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर पेंशन, जीपीएफ, डीपीएफ, अवकाश नगदीकरण मध्यप्रदेश शासन कर्मचारी बीमा सह बचत योजना 2003 के अंतर्गत राशि में जमा राशि का व्याज सहित भुगतान शासन नियमानुसार किया जाता है ।
2.	श्री ए०आर०कुरेशी स०म०अ०	11000=00	----'----
3.	कु० सोना यादव मपाप्रअ	9201=00	----'----
4.	श्री एस०एन०उदेहिया मपाप्रअ	8320=00	----'----
5	श्री ए०के०जैन उपयंत्री	12245=00	----'----
6.	श्री ए०के०श्रीवास्तव मत्स्य निरीक्षक	8345.00	----'----

7.	श्री रमेश सोनकर मत्स्य निरीक्षक	7136.00	----'----
8.	श्री सी०के०खरे मत्स्य निरीक्षक	8503.00	----'----
9.	श्री डी०एन०कोरी अनुसंधाता	10750.00	----'----
10.	श्री एन०आर०ठाकुर अनुसंधाता	10600.00	----'----

11.	श्री एम०एल०कोष्टी स०ग्रे०-२	8640.00	----'----
12.	श्री आई०ए०खान स्टेनोग्राफर	9201.00	----'----
13.	श्री व्ही०के०चौरसिया स०ग्रे०-३	6368.00	----'----
14.	श्री आर०के०सैनी स०ग्रे०-३	5658.00	----'----
15.	श्रीमति लक्ष्मी जैन टाइपिस्ट	7903.00	----'----
16.	श्री रामसुवन तिवारी मत्स्यजमादार	6230.00	----'----
17.	श्री श्यामलाल रैकवार मत्स्यजमादार	5785.00	----'----
18.	श्री नंदकिशोर रैकवार	5775.00	----'----
19.	हरीराम गौड़	5086.00	----'----
20.	श्री प्रकाश यादव भृत्य	5662.00	--'--
21.	श्री छोटेलाल सेन भृत्य	5532.00	--'--
22.	श्री मथुराप्रसाद कोष्टी भृत्य	4862.00	--'--
23.	श्री पुरुषोत्तम रैकवार भृत्य	5069.00	--'--
24.	श्री घनश्याम रैकवार भृत्य	4997.00	--'--
25.	श्री धीरजप्रसाद शमा भृत्य	4855.00	--'--

26.	श्री धमेन्द्र गोस्वामी वाहन चालक	7312.00	—'—
27.	श्री भरोसा रैकवार ता0चौकी0	5067.00	—'—
28.	श्री छोटेलाल पटैल ता0चौकी0	4990.00	—'—
29.	श्री मुन्नासिंह गोड़ कार्या0चौकी0	4804.00	—'—
30.	श्री मनोहरलाल पटैल कार्या0चौकी0	4472.00	—'—

4.1(बी) (xi) इसकी प्रत्येक एजेन्सी के लिये आवंटित वजट समस्त योजनाओं की प्रस्तावित खर्चों की तथा किये गये भुगतानों /अदायगी की रिपोर्ट की विशिष्टियां :-

Sn	Budget Head	Name of work	Year	Allocation	Expenditure
1	2	3	4	5	6
1.	मांग संख्या-16 2405 मीनउद्योग आयोजनेत्तर 162 जिला स्तरीय अमला	वेतन भत्तें, कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता, वाहन अनुरक्षण कार्य, अन्य प्रभार.	05-06	2455000.00	1054315.00
2.	मांग संख्या-15 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थओं को वित्तीय सहायता.	3313 मत्स्यपालन प्रसार निजी म0पा0को सहायता 4224 शिक्षण-प्रशिक्षण 109 विस्तार 4709 म0स0स0का गठन	05-06 05-06 05-06	5000.00 10000.00 5000.00	— — —
3.	मांग संख्या-16 मछलीपालन मु0शीर्ष 2405 मीनउद्योग आयोजना 101 राज्य आयोजना सामान्य 1451 जलाशयों में मत्स्योद्योग का विकास	51-अन्यप्रभार (जला0में मत्स्यो0का वि0) 32-लघुनिर्माण 51-अन्यप्रभार (मत्स्यबीज )	05-06 05-06 05-06	40000.00 10000.00 70000.00	30350.00 — 62699.00
4	मांग संख्या-16 मछलीपालन मु0शी02405 मीनउद्योग आयोजना 0701 केन्द्र प्रवर्तित यो0	120-मछलीपालन सह.समि. 6701-केन्द्र प्रवर्तित योजना 42-सहायक अनुदान	05-06	55350.00	17100.00

	सामा0- 6356 बचत सह राहत योजना				
5	मांग संख्या-41 आदिवासी उपयोजना 2405 मीनउद्योग 0102 आदि0क्षे0उपयोजना 1450 जलाशयों में मत्स्यों0का विकास	63-मशीनरी (जलाशयों में मत्स्यो0का विकास) मत्स्यबीज उत्पादन 32-लघुनिर्माण 33-अनुरक्षण कार्य	05-06  05-06 05-06	45000.00  10000.00 10000.00	---  --- 5639.00

6	मांग संख्या-80 - मु0शी02405 मीन उद्योग त्रिस्तरीय पंचा0राज संस्थओं को वित्तीय सहायता आयोजना सामान्य	छात्रवृत्ति कृषकों को सबसिडी(पौण्ड कल्चर) संधारण अनुदान (वेतन भत्तें आदि) म0स0स0को अनुदान शिक्षण-प्रशिक्षण	05-06 05-06 05-06 05-06 05-06	12000.00 190000.00 165000.00 15000.00 25000.00	--- --- 103595.00 --- ---
7	मांग संख्या-80 मुख्यशीर्ष 2405मीनउद्योग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाकाओं को वित्तीय सहायता आयोजनेत्तर केन्द्र प्रवर्तित योजना	नानप्लान बेस स्टाफ वेतन -	05-06	493000.00	326762.00
8	मांग संख्या -82 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मु0शी02405 त्रि0पं0रा0सं0को वि0सहायता 101 अंतर्देशीय	3313- मत्स्यपालन 4224-शिक्षण-प्रशिक्षण 9338-म0स0स0को अनुदानक	05-06 05-06 05-06	5000.00 15000.00 10000.00	--- --- ---

	मछलीपालन उद्योग 102 आदिवासी उपयोजना	42- सहायक अनुदान			
--	--	------------------	--	--	--

- 4.1(b)(xii) इस बात का विवरण बोर्ड के रूप में सार्वजनिक रूप से खुला है
- अ. 1. सहकारी समितियों को अनुदान --- 2550 रुपये तक पंजीकृत मछुआ समिति (पट्टा धारक)
2. मत्स्यपालकों को सहायता --- अनुसूचित जनजाति 5000 रु प्रति व्यक्ति ---'
3. स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण का --- सामान्य जाति मत्स्य कृषकों के लिए 1 हेक्टर पर लागत 2लाख रुपये पर 20 प्रतिशत अनुदान  
अनुसूचित जाति/जनजाति मत्स्य कृषकों के लिये 1 हेक्टर पर लागत का 2 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत अनुदान
4. पौण्ड कल्चर अनुदान --- सामान्य जाति मत्स्य कृषकों के लिये 1 हेक्टर पर यूनिट फास्ट रुपये 0.90लाख पर 20प्रतिशत अनुदान  
अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये -----'-----25%
5. एकीकृत मत्स्यपालन योजना कास्ट --- सामान्य जाति कृषक के लिए 1 हे.पर यूनिट कास्ट0 0.80 लाख का 20 प्रतिशत अनुदान  
अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 1 हेक्टर यूनिट 0.80 लाख का 25 प्रतिशत अनुदान.
- ब. 1. गरीबी रेखा का होना
2. तालाब पट्टा धारक
3. मत्स्यपालन से संबंधित हो
4. जिला पंचायत की कृषि समिति से हितग्राही का अनुमोदन

क्र०	कार्य का विवरण	संबंधित विभाग	वर्ष	उपलब्ध आवंटन	होने वाले लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6



1.	सहकारी समितियों को अनुदान	मछलीपालन विभाग	05-06	0.30 लाख	8समितियों 200 सदस्य
2.	मत्स्य पालकों को अनुदान अनु.जाति/जनजाति	---'---	05-06	0.10 लाख	4 सदस्यों को
3.	स्वय की भूमि मे तालाब निर्माण	---'---	05-06	3.00लाख	7 व्यक्तियों को
4.	पौण्ड कल्चर अनुदान	---'---	05-06	1.52लाख	12व्यक्तियों को
5.	एकीकृत मछलीपालन	---'---	05-06	0.16लाख	1 व्यक्ति

4.1(बी) (xiii) रियायतों / सुविधाओं अनुज्ञापत्रों या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वाले की विशिष्टियां

:-

Sn	Nature of Cencession	Name	Address	Year	Kind of suppet	Approximate value of concession
1	2	3	4	5	6	7
	---	---	---	---	---	---

4.1(बी) (xiv) : प्राप्तनीय या उसके द्वारा धारित इलेक्ट्रानिक फार्म मे सूचना के बारे मे विवरण :-

Sn	Categaries	Hard copy	Electronic form
1	2	3	4
1-	सिंचाई / ग्रामीण तालाबों की सूची	उपलब्ध	उपलब्ध
2-	मत्स्योद्योग सहकारी समितियों की जानकारी	उपलब्ध	उपलब्ध
3-	योजनांतिर्गत आवंटन की जानकारी	उपलब्ध	उपलब्ध
4-	सहकारी समितियों को ऋण / अनुदान की जानकारी	उपलब्ध	उपलब्ध
5-	निजि मत्स्यपालकों को अनुदान	उपलब्ध	उपलब्ध

6-	स्वय की भूमि पर तालाब निर्माण /पौण्ड कल्चर योजना/एकीकृत मत्स्यपालन योजनांतर्गत जिले में स्वीकृत प्रकरणो की जानकारी	उपलब्ध	उपलब्ध
7-	दुर्घटना बीमा/वचत सह राहत योजनांतर्गत लाभांवितों की जानकारी	उपलब्ध	उपलब्ध
8-	विभागीय जलाशयों में मत्स्याखेट /आय की जानकारी	उपलब्ध	उपलब्ध

4.1(बी) (xv) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिये प्राप्तनीय सुविधाओं की विशिष्टियां और वाचनालय और रीडिंग रूम के कार्यकारी घंटे यदि लोक उपयोग के लिये बनाये रखा गया है की विशिष्टियां :-

SN	Facility	Name of Incharge	Duration of opening Time to be given	Contact No Telephone NO-
1	2	3	4	5
1-	कार्यालय उपसंचालक मत्स्योद्योग सागर म0प्र0	1- रमेश सोनकर म0नि0	शासकीय अवकाश को छोडकर प्रति दिवस 12 से 1 बजे तक	दूरभाष 07582 236656
2-	अभिकरण सेल	2-कु0सोना यादव मपाप्रअ	---'---	---'---

4.1(बी) (xvi)

लोक सूचना आधिकारियों के नाम, पदसंज्ञा/पदनाम तथा अन्य विशिष्टियां

Sn	Name	Designation	Telephone	E mail	Place of Work	Contact hours
1	2	3	4	5	6	7
1-	श्री जी०के०मेश्राम	प्रभारी उपसंचालक मत्स्योद्योग सागर लोक सूचना अधिकारी	236656 off. 224548 Res.	—	कार्या०उ०सं०म०सागर	12बजे से 1 बज तक प्रति दिवस शासकीय अवकाश को छोड़कर
2-	श्री रमेश सोनकर	मत्स्य निरीक्षक सहायक लोक सूचना अधिकारी	236656 off. 508151 Res.	—	कार्या०उ०सं०म०सागर	12 बजे से 1 बजे तक प्रति दिवस शासकीय अवकाश को छोड़कर
	सुश्री सोना यादव	म०पा०प्र०अ०	236656 off.	—	कार्या०उ०स०म०सागर	12 बजे से 1

		म०कृ०वि०अ०सेल	230432 Res.			बजे तक प्रति दिवस शासकीय अवकाश को छोड़कर
--	--	---------------	----------------	--	--	--

4.1(बी) (xvii) अन्य सूचनाएं जो विहित की जावें :-

निरंक

प्र०उपसंचालक मत्स्योद्योग

जिला सागर